



षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विधमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री सदानन्द सिंह,
संवि०स०

"दिनांक 2 फरवरी, 2016 से लगातार एक सप्ताह तक भागलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से, अनुमण्डल पदाधिकारी, भागलपुर सदर श्री कुमार अनुज एवं प्रशिक्षु आई०पी०एस० गौरव संगला के नेतृत्व में बिना जी०पी०एस० लगे 16 ट्रकों एवं विभिन्न गोदामों से लगभग 14000 क्वींटल से अधिक बोरी सरकारी चावल एवं गेहूँ जम्मा की गयी है।

इस कालाबाजारी और मिलावट के धंधों में कई विभागीय पदाधिकारी, ट्रक मालिकों, चावल मिल मालिकों, F.C.I. एवं S.F.C. के पदाधिकारियों की सीलपता प्रतीत होती है।

अतः उक्त खाद्यान्न को ही नहीं कालाबाजारी एवं मिलावट की जांच एवं इस धंधे में शामिल दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।"

खाद्य
एवं उपभोग्य
संरक्षण

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/16-

375

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2016 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकसभ के आण सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / छाह एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/16-

375

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2016 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आण सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रधारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

2/3/16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

2/3/16